भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4383

उत्तर देने की तारीख- 27/03/2025

पीएम-पीवीटीजी विकास मिशन

4383. श्री संतोष पांडेय:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास मिशन के उद्देश्यों और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पीवीटीजी को लाभ प्रदान करने के लिए कोई नीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मिशन की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कोई सूचना या जागरूकता अभियान आरंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई विशेष कार्य योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) वर्ष 2019 से इस प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ को जिलावार कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(च) सरकार द्वारा चिह्नित किए गए पीवीटीजी में शामिल छत्तीसगढ़ के जनजातीय समूहों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ख): 15 नवंबर 2023 को, माननीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) (बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार नाम, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन) का शुभारंभ किया। मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी

उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

पीएम जनमन के कार्यान्वयन के मद्देनजर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम जनमन के तहत गांवों और बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी आबादी को कवर करने के लिए पीवीटीजी आबादी के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतरों का अनुमान लगाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों/विभागों के माध्यम से पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आवास स्तर पर डेटा संग्रह करने का कार्य शुरू किया है।

पीएम जनमन के शुभारंभ से पहले, पीवीटीजी के विकास के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय "पीवीटीजी का विकास" की योजना को कार्यान्वित कर रहा था, जिसमें संरक्षण सह विकास (सीसीडी) योजनाओं के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र को उनके प्रस्तावों के आधार पर निधियां प्रदान की जाती थी। ये बुनियादी ढांचे में अंतर को भरने के लिए थे और मांग आधारित थे। पीएम जनमन योजना की शुरुआत के साथ ही पीवीटीजी का विकास योजना को बंद कर दिया गया है और मंत्रालय केवल मार्च 2025 तक प्रतिबद्ध देनदारियाँ प्रदान कर रहा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय कक्षा 6वीं से 12वीं तक अजजा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख (फ्लैगशिप) योजना “एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)” भी लागू कर रहा है। प्रत्येक ईएमआरएस में 5% सीटें पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना में, 750 स्लॉट में से 25 स्लॉट पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति के तहत, 20 स्लॉट में से 3 स्लॉट पीवीटीजी अभ्यर्थी के लिए आरक्षित हैं।

(ग) : जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मिशन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पीएम-जनमन के तहत 15 दिसंबर, 2023 से 15 जनवरी, 2024 तक और 23 अगस्त, 2024 से 02 अक्टूबर, 2024 तक दो सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान शुरू किए हैं। विभिन्न राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर के कार्यक्रम और गतिविधियाँ आयोजित की गईं। अभियान के दौरान विभिन्न राज्य/जिला स्तरीय कार्यक्रमों और गतिविधियों के आयोजन के माध्यम से पीएम जनमन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना ‘जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को सहायता’ के अंतर्गत संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गईं।

(घ) और (ड.): जनजातीय कार्य मंत्रालय छत्तीसगढ़ सहित देश भर में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डीएपीएसटी के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध निधियों के अभिसरण के माध्यम से अजजा के विकास के लिए दो मिशन शुरू किए हैं, नामत: प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम

जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए), जो छत्तीसगढ़ राज्य को कवर करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/अनुदानों के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराई गई है/जा रही है, जैसे अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान (परंतुक), अजजा छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, अजजा छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, टीएसएस/पीएमएएजीवाई को एससीए, टीआरआई को सहायता, पीवीटीजी का विकास। 2019-20 से संबंधित योजनाओं/अनुदानों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को जारी की गई निधियां का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

योजना/अनुदान	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान (परंतुक)	22500.77	9976.24	11604.02	13578.45	15676.77	14506.46
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	4796.94	3541.54	0.00	0.00	5250.00	0.00
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	7022.69	8790.24	0.00	9330.35	7125.00	7000.00
टीएसएस/ पीएमएएजीवाई को एससीए (2021-22 से)	9415.53	8769.06	15595.80	23021.82	0.00	0.00
टीआरआई को सहायता	0.00	0.00	189.04	113.43	250.00	1000.00
पीवीटीजी का विकास	1311.35	989.32	996.90	1500.00	0.00	0.00
पीएम जनमन (एमपीसी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	852.39	0.00

*जिलावार निधियां आवंटित/जारी करने सहित परियोजनाओं को क्रियान्वित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में 75 ईएमआरएस स्वीकृत किए हैं और सभी ईएमआरएस के क्रियाशील होने की सूचना है।

(च): मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित) में निवास करने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में पहचाने गए जनजातीय समुदायों का विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

अनुलग्नक-I

"पीएम-पीवीटीजी विकास मिशन" के संबंध में श्री संतोष पांडेय द्वारा दिनांक 27.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4383 के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीवीटीजी की सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	पीवीटीजी का नाम
1	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	अबूझ मारिया / अबूज मारिया
2		बैगा
3		भारिया
4		बिरहोर
5		पहाड़ी कोरवा
6		कमार
7		सहरिया

*****